



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पॉर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या : PLEXHO/Cir/018

दिनांक: 09.04.2026

को,

प्लेक्सकौन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: विदेश व्यापार नीति 2023 के अनुच्छेद 2.62 में संशोधन (उत्पत्ति के स्व-प्रमाणीकरण: उत्पत्ति प्रमाण पत्र के स्व-प्रमाणीकरण के लिए अनुमोदित निर्यातक योजना)

अप्रैल

संदर्भ: डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 05/2026-27 दिनांक 7 2026

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि डीजीएफटी ने विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 2.62 में निम्नलिखित संशोधनों के संबंध में उपरोक्त अधिसूचना जारी की है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

पैरा	मौजूदा पैराग्राफ	संशोधित पैराग्राफ
2.62	<p>मूल प्रमाण पत्र के स्व-प्रमाणीकरण के लिए अनुमोदित निर्यातक योजना</p> <p>(i) वर्तमान में, विभिन्न तरजीही व्यापार समझौतों [पीटीए], मुक्त व्यापार समझौतों [एफटीए], व्यापक आर्थिक सहयोग समझौतों [सीईसीए] और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौतों [सीईपीए] के तहत मूल प्रमाण पत्र परिशिष्ट 2बी और आयात निर्यात प्रपत्रों के अनुसार नामित एजेंसियों द्वारा जारी किए जाते हैं।</p> <p>लेनदेन की लागत को कम करने के उद्देश्य से स्व-प्रमाणीकरण की एक नई वैकल्पिक प्रणाली शुरू की जा रही है।</p> <p>(ii) वे निर्माता जो स्टेटस होल्डर भी हैं, अनुमोदित निर्यातक योजना के लिए पात्र होंगे। अनुमोदित निर्यातक विभिन्न पीटीए/एफटीए/सीईसीए/सीईपीए के तहत तरजीही व्यवहार के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु अपने निर्मित माल को भारत से उत्पन्न होने के रूप में स्व-प्रमाणित करने के हकदार होंगे। स्व-प्रमाणन केवल उन वस्तुओं के लिए अनुमत होगा जो निर्माताओं को जारी किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) / औद्योगिक लाइसेंस (आईएल) / आशय पत्र (एलओआई) के अनुसार निर्मित की गई हों।</p>	<p>2.62. (क) उत्पत्ति प्रमाण पत्र जारी करना</p> <p>(i) भारत से निर्यात के लिए मूल प्रमाण पत्र (सीओओ) केवल विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिकृत एजेंसियों द्वारा ही जारी किए जा सकते हैं।</p> <p>(ii) अधिकृत एजेंसियां समय-समय पर डीजीएफटी द्वारा निर्धारित तरीके से सीओओ जारी करेंगी।</p> <p>(iii) सीओओ का लाभ उठाने वाले सभी आईईसी धारकों को स्वचालित सत्यापन को सक्षम करने के लिए सीओओ और संबंधित शिपिंग बिल दोनों में एक ही चालान संख्या का उपयोग करना होगा।</p> <p>(ख) मूल प्रमाण पत्र के स्व-प्रमाणीकरण हेतु अनुमोदित निर्यातक योजना</p> <p>(i) वर्तमान में, विभिन्न तरजीही व्यापार समझौतों [पीटीए], मुक्त व्यापार समझौतों [एफटीए], व्यापक आर्थिक सहयोग समझौतों [सीईसीए] और व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौतों [सीईपीए] के तहत मूल प्रमाण पत्र परिशिष्ट 2बी और आयात निर्यात प्रपत्रों के अनुसार नामित एजेंसियों द्वारा जारी किए जाते हैं। लेन-देन लागत को कम करने के उद्देश्य से स्व-प्रमाणन की एक नई वैकल्पिक प्रणाली शुरू की जा रही है।</p>

<p>(iii) स्थिति धारकों को डीजीएफटी द्वारा स्व-प्रमाणन के लिए अनुमोदित निर्यातकों के रूप में मान्यता दी जाएगी, जो आवश्यक बुनियादी ढांचे, क्षमता और प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता पर आधारित होगा, जैसा कि प्रक्रिया पुस्तिका के पैरा 2.94 में परिशिष्ट 2एफ और आयात निर्यात प्रपत्रों के साथ दिए गए विवरण के अनुसार है।</p> <p>(iv) योजना का विवरण, दंड प्रावधानों सहित, परिशिष्ट 2F और आयात निर्यात प्रपत्रों में दिया गया है और यह तभी प्रभावी होगा जब भारत इस योजना को अपने साझेदार/साझेदारों के साथ एक विशिष्ट समझौते में शामिल करेगा और इसे डीजीएफटी द्वारा विधिवत अधिसूचित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जिन संस्थाओं को एफटीए/पीटीए के तहत द्विपक्षीय रूप से ऐसा स्व-प्रमाणन प्रदान किया जाएगा, वे उस एफटीए के प्रावधानों और शर्तों के अधीन होंगी।</p>	<p>(ii) वे निर्माता जो स्टेटस होल्डर भी हैं, अनुमोदित निर्यातक योजना के लिए पात्र होंगे। अनुमोदित निर्यातक विभिन्न पीटीए/एफटीए/सीईसीए/सीईपीए के तहत तरजीही व्यवहार के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु अपने निर्मित माल को भारत से उत्पन्न होने के रूप में स्व-प्रमाणित करने के हकदार होंगे। स्व-प्रमाणन केवल उन वस्तुओं के लिए अनुमत होगा जो निर्माताओं को जारी किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) / औद्योगिक लाइसेंस (आईएल) / आशय पत्र (एलओआई) के अनुसार निर्मित की गई हों।</p> <p>(iii) स्थिति धारकों को डीजीएफटी द्वारा स्व-प्रमाणन के लिए अनुमोदित निर्यातकों के रूप में मान्यता दी जाएगी, जो आवश्यक बुनियादी ढांचे, क्षमता और प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता पर आधारित होगा, जैसा कि प्रक्रिया पुस्तिका के पैरा 2.94 में परिशिष्ट 2एफ और आयात निर्यात प्रपत्रों के साथ दिए गए विवरण के अनुसार है।</p> <p>(iv) योजना का विवरण, दंड प्रावधानों सहित, परिशिष्ट 2F और आयात निर्यात प्रपत्रों में दिया गया है और यह तभी प्रभावी होगा जब भारत इस योजना को अपने साझेदार/साझेदारों के साथ एक विशिष्ट समझौते में शामिल करेगा और इसे डीजीएफटी द्वारा विधिवत अधिसूचित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जिन संस्थाओं को एफटीए/पीटीए के तहत द्विपक्षीय रूप से ऐसा स्व-प्रमाणन प्रदान किया जाएगा, वे उस एफटीए के प्रावधानों और शर्तों के अधीन होंगी।</p>
--	---

उत्पत्ति प्रमाण पत्र केवल अधिकृत एजेंसियों द्वारा ही जारी किए जा सकते हैं। निर्यातकों को स्वचालित उपयोग सत्यापन को सक्षम करने के लिए उत्पत्ति प्रमाण पत्र और शिपिंग बिल में समान चालान संख्या का उपयोग करना अनिवार्य है।

सदस्य विस्तृत सूचना के लिए यहां क्लिक करें : https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260408020614.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

साभार
भारती परवे
उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)
प्लेक्सकॉन्सिल